



Neutral Citation No. - 2026:AHC:168697

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7936/2026

सन्दीप प्रजापति

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : राम रंग पटेल

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आर.आर. पटेल तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए.-I श्री विजय कुमार को सुना।

2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि विचारण लंबित रहने के दौरान उसे एफ.आई.आर./मुकदमा अपराध संख्या 12 सन् 2023, धारा 379, 411, 467, 468, 471 एवं 307 भा.दं.सं. तथा धारा 3/4/25 आयुध अधिनियम, थाना फूलपुर, जनपद प्रयागराज में अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।

3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह आवेदक की ओर से दाखिल किया गया दूसरा अग्रिम जमानत आवेदन है और इससे पूर्व आवेदक ने वर्तमान प्रकरण में धारा 379 भा.दं.सं. के अन्तर्गत अपराध के संबंध में अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया था और चूंकि कथित अपराध अधिकतम सात वर्ष के कारावास से दंडनीय था, अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (2014) 8 एस.सी.सी. 273 के प्रकरण में की गई टिप्पणियों के दृष्टिगत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.01.2024 को उक्त आवेदन का निस्तारण कर दिया गया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4- उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 08.01.2024 के आदेश के अनुसरण में आज तक आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया गया, किन्तु आवेदक के संबंध में विवेचना अभी भी लंबित है और अचानक दो वर्ष पश्चात पुलिस ने आवेदक को गिरफ्तार करने के प्रयास शुरू कर दिए तथा जब आवेदक ने संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण आवेदन प्रस्तुत किया, तब उसे ज्ञात हुआ कि धारा 379 भा.दं.सं. के साथ-साथ धारा 411, 467, 468, 471 एवं 307 भा.दं.सं. तथा धारा 3/4/25 आयुध अधिनियम की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं और जब आवेदक ने संबंधित न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत हेतु आवेदन किया, तब संबंधित न्यायालय ने उसका अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

5- उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12.01.2023 को दर्ज की गई थी और अतः साढ़े तीन वर्ष पश्चात विवेचना अधिकारी द्वारा आवेदक की गिरफ्तारी किए जाने का कोई अवसर नहीं है।

6- उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आवेदक ने विवेचना में सहयोग नहीं किया।

7- उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक के संबंध में प्रकरण की विवेचना दिनांक 12.01.2023 से अर्थात् पिछले साढ़े तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित है और ये सभी आधार आवेदक को विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने के लिए पर्याप्त हैं, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।

8- इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने यद्यपि जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

9- मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा प्रकरण के अभिलेख का परिशीलन किया।

10- वर्तमान प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12.01.2023 को अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 379 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दर्ज की गई थी और इससे यह परिलक्षित होता है कि विवेचना के दौरान आवेदक को अभियुक्त बनाया गया और तत्पश्चात उसने इस न्यायालय का रुख किया तथा धारा 379 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में आपराधिक विविध अग्रिम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 438 दं.प्र.सं. संख्या 12136 सन् 2023 दाखिल किया और दिनांक 08.01.2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अर्नेश कुमार (उपर्युक्त)** के प्रकरण में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए उसके आवेदन का निस्तारण कर दिया गया।

11- यह परिलक्षित होता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 08.01.2024 के आदेश के अनुसरण में आज तक आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तथापि, आज तक भी आवेदक के संबंध में विवेचना लंबित है।

12- अभिलेख से आगे यह भी परिलक्षित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तारीख से साढ़े तीन वर्ष पश्चात धारा 411, 467, 468, 471 एवं 307 भा.दं.सं. तथा धारा 3/4/25 आयुध अधिनियम की धाराएं जोड़ी गईं और तत्पश्चात विवेचना अधिकारी ने उसकी गिरफ्तारी का प्रयास प्रारंभ किया।

13- इस न्यायालय को आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्क में बल प्रतीत होता है कि साढ़े तीन वर्ष से अधिक समय पश्चात आवेदक की गिरफ्तारी किए जाने का कोई अवसर नहीं है।

14- इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं है कि विवेचना के दौरान आवेदक सहयोग नहीं कर रहा है। यह भी आश्चर्यजनक है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद साढ़े तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु आज तक भी आवेदक के विरुद्ध विवेचना लंबित है।

15- इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।

16- अतः, उपर्युक्त विवेचित प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में आवेदक विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

17- तदनुसार, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

18- उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में सम्मिलित आवेदक-**संदीप प्रजापति** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे विचारण की समाप्ति तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित पीठासीन अधिकारी/न्यायालय की संतुष्टि पर समान राशि के दो जमानतदारों के साथ व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i)- आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

(ii)- आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे किसी व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे;

(iii)- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

(iv)- आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(v)- आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा;

(vi)- आवेदक नियत प्रत्येक तारीख को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

19- उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय को आवेदक को प्रदान की गई जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

20- यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

12 अगस्त, 2026

एस.के.एम.